

- - 1 - -

ग्रामीण विकास विभाग,एस0एस0ओ बिल्डिंग, शासन सचिवालय,जयपुर

क्रमांक एफ 24(2)ग्रा.वि./केभ/स्टोर/1996

जयपुर दिनांक: 2-2-2015

**विभाग में स्थापित प्रिन्टर्स की कार्टेज रिफिल कार्य अनुबन्ध हेतु दर आमंत्रण बोली
(बिड) आमंत्रण सूचना**

एन.आई.बी. संख्या-01/2015-16 दिनांक

1. ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर कार्यालय में **विभाग में स्थापित प्रिन्टर्स की कार्टेज रिफिल कार्य** वार्षिक अनुबन्ध पर सेवाओं के उपापन (Procurement) के लिये संबंधित फर्मों से निम्न विवरणानुसार सील बन्द लिफाफे में बोली (बिड) आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित वार्षिक लागत	बोली प्रतिभूति	बोली दस्तावेज शुल्क	अनुबन्ध की अवधि
1	ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर कार्यालय में विभागीय प्रिन्टर्स कार्टेज रिफिल कार्य अनुबन्ध हेतु।	2.00 लाख	4000	200/-	एक वर्ष जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार और बढ़ाया जा सकता है।

2. बोली (बिड) दस्तावेज राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट <http://sppp.raj.nic.in> पर या विभागीय कार्यालय में देखे/प्राप्त किये जा सकते हैं। बोली दस्तावेज उक्त वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं या विभागीय कार्यालय में निर्धारित फीस रूपये 200/- नकद, बैंकर्स चैक या बैंक ड्राफ्ट के जरिये जमा कराकर बोली प्रस्तुत करने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। वेबसाईट से डाउनलोड बोली दस्तावेज के लिये भी निर्धारित फीस बोली प्रस्तुत करने से पूर्व जमा कराने पर ही बोली स्वीकार्य होगी।

3. बोली (बिड) के समस्त पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या डाली जाकर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निर्धारित प्रतिभूति के साथ सील बन्द लिफाफे में दिनांक 23.02.2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक शासन उप सचिव (प्रशासन) के कमरा नम्बर 8113 प्रथम तल उत्तर-पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को व्यक्तिशः या जरिये डाक प्रस्तुत की जा सकती है। बोली (बिड) लिफाफे पर **"एनआईबी संख्या.1 विभागीय विभागीय प्रिन्टर्स कार्टेज रिफिल कार्य के लिये बोली (बिड)"** एवं **"दिनांक 23.02.2015 समय 2.बजे से पूर्व नहीं खोला जावे"** लिखा जाकर बोली (बिड) प्रस्तुत की जावे।

4. बोली (बिड) के साथ अनुमानित वार्षिक लागत की 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति नकद बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या निर्धारित प्रपत्र में भारतीय सिड्यूल बैंक की गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जावें। इसके अभाव में बोली (बिड) पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित किया जायेगा, जो वार्षिक कार्य लागत का 5% होगी, उक्त राशि अनुबन्ध पत्र निष्पादन के समय जमा कराई जानी आवश्यक होगी।
6. निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त बोली (बिड) स्वीकार्य नहीं होगी एवं बिना खोले ही वापस लोटा दी जावेगी।
10. निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त बोली (बिड) दिनांक 23.02.2015 को सांय 4.00 बजे सयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) के समक्ष कमरा नम्बर 8113, द्वितीय तल, उत्तर-पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में उपस्थित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जावेगी।
11. उपापन संस्था न्यूनतम बोली (बिड) को स्वीकार ही करने के लिये बाध्य नहीं है। किसी भी बोली या उसके किसी भी भाग या सभी बोलियों को बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है।
12. बोलीदाता को आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतियां बोली (बिड) के साथ प्रस्तुत करनी होगी।


संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

कमरा नं0 8113, उत्तरी-पश्चिमी भवन

(एस.एस.ओ. बिल्डिंग)

शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. नोटिस बोर्ड ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर सैल, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर को भेज कर लेख है कि आमंत्रण सूचना को राज्य लोक उपापन पोर्टल एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


संयुक्त शासन सचिव-प्रशासन

